



प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरट गाजियाबाद दिनांक 19.04.2026

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 02 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस, झुग्गी से चोरी किये 10000/-रु0 बरामद ।

गिरफ्तारी / पुलिस मुठभेड़ का विवरण – थाना इन्दिरापुरम के चौकी क्षेत्र नीतिखंड में दिनांक 15/16.04.2026 की रात्रि में अभियुक्त द्वारा नीतिखंड 2 में स्थित निर्माणाधीन प्लाट न0 9 में बनी झुग्गी में घुसकर वादी की 7 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म कर वादी की झुग्गी में रखे 11,000/- रुपये व मोबाइल फोन चोरी कर ले जाने के सम्बंध में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग के अनावरण हेतु उच्चाधिकारीगणों के निर्देशन व कुशल पर्यवेक्षण मे गठित पुलिस द्वारा उपरोक्त घटना का अल्पअवधि में सफल अनावरण करते हुए आज दिनांक 19.04.2026 को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा गौर ग्रीन से कनावनी पुलिया की ओर आने वाली ग्रीन बेल्ट रोड, निर्माणाधीन बिल्डिंग के सामने जाने वाले रास्ते पर पुलिस गस्त के दौरान रात्रि में खडे एक संदिग्ध व्यक्ति को चैकिंग कराने हेतु निर्देशित किया गया जिसपर उक्त व्यक्ति ने बचाव हेतु ग्रीन बैल्ट में भागकर व छिपकर पुलिस पार्टी से बचने का प्रयास किया , जिसका पुलिस पार्टी द्वारा चारो तरफ से घेरकर पकडने का प्रयास किया गया इसी कार्यवाही के दौरान उस व्यक्ति ने अपने आप को पुलिस से घिरा देखकर खुद को पुलिस के हवाले करने के बजाय अपने पास लिए तमंचे से पुलिस वालों को निशाना बनाकर जान से मारने की नियत से फायर किया, जिसपर पुलिस पार्टी द्वारा उक्त व्यक्ति को आत्मसमर्पण करने हेतु ललकारा गया, जिससे पुलिस पार्टी में शामिल लोग बाल बाल बचे पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में अपने जान माल की सुरक्षा हेतु पुलिस टीम द्वारा अपने आप को बचाते हुए पुलिस पार्टी द्वारा अपनी सरकारी पिस्टल से सिखलाए हुए तरीके से बदमाश की तरफ एक-एक राउण्ड फायर किया, जिससे बदमाश अल्फाजुद्दीन उर्फ भालू पुत्र कल्लू स्थायी नि0 ग्राम सुतनापुर जिला फर्रुखाबाद हाल नि0 झुग्गी झोपडी गाजियाबाद के दोनों पैर मे गोली लगी जिससे बदमाश घायल होकर नीचे गिर गया पुलिस टीम द्वारा बदमाश के कब्जे से , कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 02 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस, झुग्गी से चोरी किये 10000/-रु0 सहित गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल भेज दिया गया है । अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त उपरोक्त नशे का आदि है और अक्सर मौका देखकर इधर उधर चोरी कर अपने नशे के लिए रुपयो का इंतजाम करता है । घटना वाले दिन अभियुक्त पास के ही पार्क में छिपकर बैठा था और रात्रि करीब 01 से 02 बजे के बीच अभियुक्त नीतिखंड 2 में स्थित निर्माणाधीन प्लाट में बनी झुग्गी में घुसकर झुग्गी में सो रही एक लडकी को पार्क की तरफ ले जाकर उसके गलत काम किया तथा उसके चिखने चिल्लाने पर अभियुक्त ने उस लडकी को चुप रहने की धमकी देते हुए झुग्गी में ले जाकर छोड दिया था और वहां से 11,000/- रुपये नगद व चार्जिंग में लगा एक मोबाइल फोन चोरी करके भाग गया था जिसमें से 1000 रुपये अपने नशे का सामान खरीदने में खर्च कर दिये । शेष बरामद 10,000/- रुपये उसी घटना से चोरी किये रुपये हैं, झुग्गी से चोरी किया मोबाइल भी रास्ते में आते जाते किसी व्यक्ति को बेच दिया था जिसे अभियुक्त जानता पहचानता नहीं हैं । आज अभियुक्त फिर से दूसरी घटना करने के इरादे से ऐसे स्थान की तलाश में

आया था और चुपचाप छिपकर अपनी सुविधा के हिसाब से स्थान की तलाश कर रहा था उसी दौरान पुलिस आ गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

अल्फाजुद्दीन उर्फ भालू पुत्र कल्लू स्थायी नि० ग्राम सुतनापुर जिला फर्रुखाबाद हाल नि० झुग्गी झोपडी गाजियाबाद ।

बरामदगी का विवरण

01 अवैध तमंचा, 02 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस, झुग्गी से चोरी किये 10000/-रु० बरामद ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

अभियुक्त अल्फाजुद्दीन उर्फ भालू उपरोक्त के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर पोक्सो/आर्म्स एक्ट के 02 अभियोग पंजीकृत है अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम ।

थाना टीला मोड क्षेत्रांतर्गत 04 वर्षीय मासूम बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म ओर हत्या करने के आरोपी व 50 हजार का ईनामी जसीम उर्फ छोटू स्वाट टीम अपराध शाखा के साथ हुई मुठभेड़ मे ढेरा।

- दिनांक 12/4/2026 को वादी द्वारा थाना टीला मोड पर इस आशय से तहरीर प्रस्तुत की गयी कि दिनांक 11/4/2026 को दोपहर समय करीब 12.00 बजे उसके सगे साले जसीम उर्फ छोटू द्वारा उसकी 04 वर्षीय बच्ची को टाफी देने के बहाने अपने कमरे पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया ओर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गयी। शव को छिपाने के लिये उसे थाना शालीमार गार्डन क्षेत्र मे पार्क के पास कार के नीचे छिपा दिया गया है।
- उक्त तहरीर के आधार पर थाना टीला मोड पर मुकदमा अपराध संख्या- 99/2026 धारा 103(1)/238/65(2) बीएनएस एवं 5(ख)(iv)/6 लैगिंग अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम पंजीकृत किया गया था। दौराने विवेचना संकलित साक्ष्य सीसीटीवी फुटेज से अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री को अपने साथ ले जाने की पुष्टि हुई है।
- घटना की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा स्वाट टीम अपराध शाखा को उक्त अपराधी की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया तथा अपर पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट, गाजियाबाद द्वारा वाछिंत अपराधी जसीम उर्फ छोटू की गिरफ्तारी पर 50 हजार रुपये का ईनाम घोषित किया गया था।
- **घटनाक्रम – दिनांक 19/04/2026**

आज दिनांक 19/04/2026 स्वाट टीम, अपराध शाखा गाजियाबाद को द्वारा मुखबिर खास सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त जसीम उर्फ छोटू उपरोक्त थाना टीला क्षेत्र मे अपने अन्य साथियों के साथ मोटरसाईकिल पर देखा गया है । मुखबिर को हिदायत देकर अभियुक्त पर नजर रखने हेतु खाना किया गया तथा सूचना पर प्रभारी निरीक्षक स्वाट टीम अनिल कुमार राजपूत मय टीम के थाना टीला मोड क्षेत्र मे अभियुक्तों की धरपकड व घेराबंदी मे मामुर हुए मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि अभियुक्त जसीम उपरोक्त अपने अन्य साथियों के साथ आ रहा है । उक्त सूचना पर स्वाट टीम अपराध शाखा के द्वारा बन्थला नहर कट पर घेराबंदी व चैकिंग की जा रही थी । तभी एक संदिग्ध बाईक नहर पटरी चिरौडी/रटोल गांव की तरह से आती दिखाई दी जिसे टार्च की रोशनी डालकर रुकने का ईशारा किया गया बाइक सवार बदमाशो द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से सीधा फायर किये गये व मोटरसाईकिल की गति तेज होने से फिसलकर गिरने के बाद भी बदमाशो द्वारा आड लेकर पुलिस टीम पर अपने हाथ मे लिये तमंचो से बारी बारी से अंधाधुंध फायरिंग शुरु कर दी पुलिस टीम द्वारा भी आत्मरक्षार्थ जमीनी व अपनी सरकारी गाडियो की आड लेकर जवाबी कार्यवाही की गयी, पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी जवाबी कार्यवाही मे एक बदमाश घायल हो गया जिसकी पहचान जसीम उर्फ छोटू पुत्र इकलाख निवासी सिसौली थाना भौराकलां जनपद मुजफ्फरनगर हाल पता किराये का मकान सलीम पुत्र मौ0 समद, लम्बरदारों का मौहल्ला सुनारो वाली गली पसौड़ा थाना टीला मोड़ कमिश्नरेट गाजियाबाद के रूप में हुई जिसको उपचार हेतु तत्काल अस्पताल भेजा गया दौराने उपचार घायल बदमाश जसीम उपरोक्त की मृत्यु हो गयी । बदमाशो द्वारा की गयी फायरिंग मे 02 पुलिसकर्मी है0का0 1371 अमित, है.कां. 348 इकबाल, घायल व कां. 265 मोहित शर्मा की बुलेट प्रूफ जैकेट मे गोली लगी है । अन्य 02 अज्ञात अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे, जिनको पकडने हेतु पुलिस द्वारा कांबिग की जा रही है ।

अभियुक्त का नाम एवं पता-

जसीम उर्फ छोटू पुत्र इकलाख निवासी सिसौली थाना भौराकलां जनपद मुजफ्फरनगर हाल पता किराये का मकान सलीम पुत्र मौ0 समद, लम्बरदारों का मौहल्ला सुनारो वाली गली पसौड़ा थाना टीला मोड़ कमिश्नरेट गाजियाबाद ।

मुठभेड़ के दौरान बरामदगी

1. 03 देशी तमंचे .315 बोर
2. 06 जिंदा कारतूस .315 बोर
3. 10 खोखा कारतूस .315 बोर
4. 01 बाइक स्प्लेंडर बिना नंबर (दिल्ली से चोरी)

मुठभेड़ मे शामिल पुलिस टीम

- स्वाट टीम अपराध शाखा कमिश्नरेट गाजियाबाद ।

अपराधिक इतिहास-

जसीम उर्फ छोटू उपरोक्त जनपद मुजफ्फरनगर से किसी अपराधिक मामले मे पूर्व मे जेल जा चुका है तथा अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

उक्त मुठभेड़ के संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्यवाही थाना टीला मोड पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा संपादित की जा रही है।